कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः—3587/11—सी—FP/UP/Other/143253/2021, लखनऊ, दिनांकः मई 12 ,2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः— जनपद—अमेठी में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—731 (पुराना एन0एच0—56) लखनऊ—सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64 से 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—96 (330) अयोध्या—सुलतानपुर—प्रयागराज मार्ग के किमी0 69 से 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने में प्रभावित 0.6281 हे0 संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः— उ0प्र0 शासन का पत्रांक—भा0स0—101/81—2—2022—800(277)/2022, दिनांक 26.09.2022 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, अयोध्या का पत्रांक—3281/14—10, दिनांक 28.04.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, अयोध्या के उपरोक्त पत्रांक—3281/14—10, दिनांक 28.04.2023 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 09.05.2023 को उपलब्ध कराया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन ''परिवेश'' पोर्टल पर अपलोड कर दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 3587 /11—सी—FP/UP/Other/143253/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, अयोध्या।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग, अमेठी।
3. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, दूसरी मंजिल, रोहतास के0एस0 ट्रिड बिल्डिंग, राणाप्रताप मार्ग, नियर सिकंदरबाग चौराह, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

Acy-611